ई–निविदा सूचना (E-Tender Notice)

जिला पंचायत, अमेठी के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों तथा उत्तर प्रदेश शासन, पंचायतीराज अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1488/33–2–2020–80जी/2000, लखनऊ दिनांक–24 जुलाई 2020 के क्रम में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों तथा फर्नीचर आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड सिंहपुर के ग्राम जियापुर में निर्मित सद्भाव मण्डप हेतु फर्नीचर आपूर्ति कार्य के लिए ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in से दिनांक 18.05.2026 को प्रातः 12:00 अपरान्ह बजे से Upload/Download/ Submit किये जा सकेगें, तथा ऑन लाइन निविदा दिनांक 21.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे तक Submit की जा सकेंगी, जो उसी दिनांक को गठित निविदा समिति (अ0मु0अ0, वि0प0दा0 व अभियन्ता) द्वारा 01:00 बजे अपरान्ह से कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी में खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त अर्ह प्रमाण पत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0, श्रम रजि0, टी.–6, निविदा शुल्क व निविदा जमानत की जमा रसीदें व उक्त वर्णित शासनादेश में विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों /इच्छुक फार्मो का वैध पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा के साथ सूची में अंकित कार्यो की लागत की 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि नगद रसीद जि0पं0 अमेठी, राष्ट्रीयकृत बैकों की एफ.डी.आर./डाक घर की एन.एस.सी. जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अमेठी के पदनाम से बन्धक होगी तथा निविदा मुल्य की धनराशि नगद (प्रपत्र–5)/ डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गौरीगंज अमेठी में संचालित जिलानिधि खाता– बैंक ऑफ बड़ौदा गौरीगंज अमेठी , खाता संख्या–07820100024568, आई0एफ0सी0 कोड– BARB0GAURIG में जमा कर, पे ऑर्डर की स्कैन प्रति व प्राप्त ट्राजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड़ किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ई–निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्यशील दिवस एवं ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in में प्राप्त की जा सकती है। ई–निविदा की वैधता अवधि 90 दिन की होगी। सशर्त निविदा मान्य नही होगी। विभाग के सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार का अधिकार निहित होगा। उक्त निम्नलिखित तिथियों में आमंत्रित की जाती हैः–

ई–निविदा आमंत्रित एवं खोले जाने की तिथि

ई–निविदा अपलोड करने की तिथि व समय से	ई–निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय तक	ई–निविदा खुलने की तिथि व समय
दिनांक– 15.05.2026 समय अपरान्ह 12:00 बजे से	दिनांक– 21.05.2026 समय अपरान्ह 12:00 बजे तक	दिनांक– 21.05.2026 समय अपरान्ह 01:00 बजे से

फर्नीचर आपूर्ति व उसके सापेक्ष शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के साथ–साथ http://etender.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

30/04/26

अभियंता
जिला पंचायत,अमेठी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,अमेठी

अध्यक्ष
जिला पंचायत,अमेठी

कार्यालय जिला पंचायत,अमेठी

पंत्राकः 35 /निविदा /नि0अनु0 /जि0पं0 / 2026–27 दिनांक 30/4/.2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी को उनके निर्देश के क्रम में सादर सूचनार्थ।
2. वित्तीय परामर्शदाता / अभियंता सदस्य निविदा समिति, जिला पंचायत,अमेठी।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र ....– हिन्दु –........ एवं ....दैनिक जागरण........ को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा सूचना अपने आगामी स्थानीय अंक में फान्ट–10 में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नाजिर जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ की उक्त ई–टेण्डरिंग सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,अमेठी

ई–निविदा सूचना (E-Tender Notice)

जिला पंचायत, अमेठी के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों तथा उत्तर प्रदेश शासन, पंचायतीराज अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1488/33–2–2020–80जी/2000, लखनऊ दिनांक–24 जुलाई 2020 के क्रम में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों तथा फर्नीचर आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मो को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड सिंहपुर के ग्राम जियापुर में निर्मित सद्भाव मण्डप हेतु फर्नीचर आपूर्ति कार्य के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा केवल ई–टेंडरिंग पोर्टल (https://etender.up-nic.in) के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।

कार्य का विवरण

क्र0सं0	कार्य का नाम	आपूर्ति स्थल का नाम	अनुमानित लागत (रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा शुल्क
1	2	3	4	5	6
1	सद्भाव मण्डप हेतु फर्नीचर आपूर्ति	ग्राम जियापुर,विकास खण्ड सिंहपुर, जनपद अमेठी	1000000.00	100000.00	5000.00

ई–निविदा आमंत्रित एवं खोले जाने की तिथि

ई–निविदा अपलोड करने की तिथि व समय से	ई–निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय तक	ई–निविदा खुलने की तिथि व समय
दिनांक– 15.05.2026 समय अपरान्ह 12:00 बजे से	दिनांक– 21.05.2026 समय अपरान्ह 12:00 बजे तक	दिनांक– 21.05.2026 समय अपरान्ह 01:00 बजे से

नियम एवं शर्ते (Terms & Conditions):–

1. उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1488/33–2–2020–80जी/2000 लखनऊ दिनांक 24 जुलाई 2020 में दी गयी व्यवस्था के ठेकेदार ही निविदा प्रकिया में प्रतिभाग कर सकेंगे।
2. शासनादेश सं0 730/33–3–2022–11/2022 दिनांक 28.04.2022 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पंचायतीराज विभाग से जुडे पदाधिकारी/कर्मी/परिवार/सगा सम्बन्धी (जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के कर्मी, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, पंचायतीराज विभाग के कर्मी, विभाग में संविधा पर कार्यरत कर्मी) के परिवारिक सदस्यों व रिस्तेदारों द्वारा निविदा प्रकिया में भाग नही लिया जायेगा। संज्ञानित होने पर निविदा निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
3. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के सापेक्ष निविदा की धरोहर धनराशि व निविदा मुल्य की धनराशि नगद (प्रपत्र–5/ डी0डी0) के माध्यम से अथवा एन0ई0एफ0टी0/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जिलानिधि खाता– बैंक ऑफ बड़ौदा गौरीगंज अमेठी , खाता संख्या–07820100024568, आई0एफ0सी0 कोड– BARB0GAURIG में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि व निविदा मुल्य की धनराशि के सापेक्ष ट्रांजेक्शन की नम्बर की स्कैन कापी/ प्रपत्र–5/ डी0डी0, एफ0डी0आर0 (जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,अमेठी के नाम बधक हो) ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने के साथ–साथ उसकी मूल प्रति तकनीकी बिड खोले जाने से पूर्व कार्यालय जिला पंचायत,अमेठी में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को अपने समस्त अर्ह प्रमाण पत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, जी०एस०टी०, श्रम रजि०,टी.–6 निविदा शुल्क व निविदा जमानत (अपर मुख्य अधिकारी के पदनाम से बन्धक) की जमा रसीदे व उक्त बर्णित शासनादेश में विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों का वैध पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी ई–टेण्डरिंग पोर्टल https://etender.up.nic.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. ठेकेदारों का निविदा स्वीकृति के उपरान्त उ०प्र० भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम–1996 एवं उ०प्र० नियमावली 2009 के अन्तर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. बिना जमानत धनराशि एवं बिना निविदा मूल्य के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सम्बन्धित कार्यो से सम्बन्धित समय–समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित फर्म/आपूर्तिकर्ता को मान्य होंगे।
8. सम्बन्धित फर्म को आपूर्ति आदेश दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित किसी नियम से अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था अथवा संक्रिय रूप से मफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया ठेका/अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
9. जिला पंचायत निर्माण नियमावली–1984 के अनुसार किसी भी /समस्त निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार समक्ष प्राधिकारी में निहित होगा।
10. निविदादाता को जिला पंचायत,अमेठी में प्रचलित उपविधि दिनांक–30 मार्च,2013 के कम में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार का अद्यतन लाइसेंस/अनुज्ञा शुल्क प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
11. आवश्यकता अनुसार तकनीकी की कोई भी मद किसी भी सीमा तक घटाई बढ़ाई जा सकती है, जो ठेकेदार को अपनी टेण्डर की दर से ही करना होगा। यदि कोई नई मद का कार्य कराना आवश्यक हुआ तो ठेकेदार को शिड्यूल दर पर कराना होगा।
12. निविदा में दर्शाए गए फर्नीचर की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टताएं (Specifications) विभाग द्वारा निर्धारित होंगी, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
13. चयनित ठेकेदार/फर्म को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी चयनित ठेकेदार की होगी।
14. आपूर्ति किए गए फर्नीचर की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान रोका जा सकता है या कार्य निरस्त किया जा सकता है।

15. भुगतान केवल जीएसटी बिल (GST Invoice) प्रस्तुत करने के उपरांत ही किया जाएगा।
16. फर्म/ठेकेदार को गुणवत्ता प्रमाणन (यदि उपलब्ध हो) संलग्न करना होगा।
17. निविदा में उल्लिखित दरें समस्त करों, परिवहन, लोडिंग–अनलोडिंग एवं स्थापना (Installation) सहित होंगी; अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
18. सभी फर्नीचर सामग्री IS मानक (BIS Standards) के अनुरूप एवं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
19. आपूर्ति किए गए फर्नीचर पर न्यूनतम 2 वर्ष की वारंटी/गारंटी देना अनिवार्य होगा।
20. आपूर्ति कार्यादेश (Work Order) जारी होने के 15–30 दिनों के भीतर पूर्ण करना होगा।
21. कार्य पूर्ण होने के बाद फर्नीचर का निरीक्षण (Inspection) संबंधित अधिकारी/समिति द्वारा किया जाएगा।
22. निरीक्षण में दोष पाए जाने पर फर्म को 7 दिनों के भीतर सुधार/प्रतिस्थापन (Replacement) करना होगा।
23. निविदा में ब्लैकलिस्टेड (Blacklisted) फर्म/ठेकेदार भाग नहीं ले सकेंगे। इसके लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
24. निविदाकार को नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि वह किसी भी सरकारी विभाग में डिफॉल्टर/ब्लैकलिस्टेड नहीं है। एवं T-6 शपथ पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
25. निविदा के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self-attested) प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
26. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो–बिड प्रणाली (Two Bid System) के अंतर्गत अलग–अलग अपलोड करनी होगी।
27. केवल तकनीकी रूप से योग्य (Technically Qualified) निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
28. न्यूनतम दर (L1) देने वाला निविदाकार ही चयनित किया जाएगा, बशर्ते वह सभी शर्तों को पूरा करता हो।
29. कार्यादेश जारी होने से पूर्व चयनित फर्म को सिक्योरिटी मनी (Security Deposit) जमा करनी होगी।
30. निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का दबाव, सिफारिश या अनुचित प्रभाव (Influence) डालने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
31. ई–टेंडर पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे; ऑफलाइन कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
32. निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जानकारी सत्य एवं प्रमाणिक है/ गलत जानकारी पाए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

30/04/26

अभियंता जिला पंचायत,अमेठी	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,अमेठी	अध्यक्ष जिला पंचायत,अमेठी

कार्यालय जिला पंचायत अमेठी

पत्रांकः– 35/ई–निविदा/जि0पं0/2026–27, दिनांकः 30/4/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अमेठी।
3. अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/सिचाई विभाग/नाजिर डी0आर0डी0ए0 व नाजिर जि0पं0 के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. अभियंता/वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत अमेठी को उक्त तिथि, समय व स्थान पर उपस्थिति रहते हुए ई–निविदा की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु।
5. लेखाकार, जिला पंचायत अमेठी को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,अमेठी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jyoti Kumar Dixit
Date: 2026.05.15 12:56:42 IST
Location: Uttar Pradesh-UP